निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 48 / 2024
दायरा दिनांकः–30.05.2024
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. शिवचरण पुत्र सीताराम जाति लोधा निवासी हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
2. जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी छबडा जिला बारां (राज0)
3. मेघराज पुत्र कैलाशनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम फलिया तहसील छबडा
4. राजकुमार पुत्र कैलाशनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम फलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव – वादी
2. श्री अब्दुल हसीब आलम – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हनुवतखेड़ा पटवार हल्का चांचोड़ा तहसील छबड़ा में स्थित खाता संख्या 289 में खसरा नंबर 264 रकबा 0.5438 है०, खसरा नंबर 265 रकबा 0.5311 है। कुल किता दो कुल रकबा 1.0749 है० तथा खाता संख्या 266 की खसरा नंबर 268 रकबा 0. 5059 है०, खसरा नंबर 269 रकबा 0.1897 है० कुल किता दो कुल रकबा 0.6956 है० वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। जिसको आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी संवत् 2058 से 2061 में खातेदारान को रिज्यूमेशन खातेदार जमाबंदी में दर्ज कर रखा है। जिसके कारण वादग्रस्त भूमि के खातेदारान तहसील कार्यालय ऑनलाइन होने के बाद अपने हिस्से में आई आराजी पर ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है और ना ही केसीसी ले सकता है। जो कि एक खातेदार काश्तकार का कानूनी हक व अधिकार है। रिज्यूमेशन खातेदार के नाम के साथ दर्ज होने के कारण वादी को केसीसी रिन्यू करवाने, अन्य लोन लेने, लाईट कनेक्शन करवाने, भूमि से संबंधित विकास कार्य

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिसके कारण वादी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। जो कि वादी का कानूनन अधिकार है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर रिज्यूमेशन हटवाने बाबत राजस्व कर्मचारियों से दिनांक 14.05.2024 को संपर्क किया गया तो उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह दी गई। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक होने के नाते राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की संपूर्ण कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने का कानूनन अधिकारी है और उसको पूर्ण अधिकार है कि उक्त रिज्यूमेशन को हटवाकर अपनी कृषि जोत का पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त करें। उक्त वाद का वाद कारण प्रथम व अंतिम बार उस समय उत्पन्न हुआ, जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 14.05.2024 को राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी गई। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबडा को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिन्हें वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परंतु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व ही धारा 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत है। विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 2 ता 4 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है। जिनसे इस वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 2 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 3,4 बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 289 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 266 नकल नामान्तरण संख्या 792 ग्राम हनुवतखेडा नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 99 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 189 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 189 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2046–49 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2042–45 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2037–40 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2033–36 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2029–32 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2025–28 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2021–24 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2017–20 नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2013–16 पेश कि गई। साक्ष्य वादी में PW1 शिवचरण के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है वादी का विवादिज आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी पर जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है जिससे वादी उक्त भूमि को किसी प्रकार से उन्नत नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भी लाभ नही ले पा रहे है जिससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है उक्त भूमि के साथ माफियात रिज्यूमशन का अंकन होने से योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है खाते में रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण वादी को परेशानियों का सामना पड रहा है वादी अभिभाषक ने जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर.टी.एक्ट की धारा 15 का उद्धरण करतें हुए निवेदन किया की प्रार्थी विधिक खातेदार कृषक है वादी के खाते से रिज्यूमशन हटाया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वाद स्वीकार करने मे प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपात्ति नही है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकरान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 289 में वादी शिवचरण पुत्र सीताराम लोधा हिस्सा 1/2 सा0देह हनुवतखेडा माफियात रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 266 में शिवचरण पुत्र सीताराम लोधा हिस्सा 1/2 सा0देह हनुवतखेडा माफियात रिज्यूमशन दर्ज है नामान्तरण संख्या 792 ग्राम हनुवतखेडा के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 से मंजु कुमारी पत्नि प्रकाश चन्द जैन सा0 छबडा से क्रेता शिवचरण गजानन्द पुत्र सीताराम जाति लोधा को बेचान किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 166 रिज्यूमशन राजेन्द्र कुमार पुत्र किशन गोपाल हिस्सा 1/4 किशन गोपाल बालगोविन्द पुत्र जमनाप्रसाद हिस्सा 3/4 जाति कायस्थवास गांव दर्ज रिकार्ड थी। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण 659 दिनांक 20.07.2006 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार राजेन्द्र ने आने खाते की खसरा नम्बर 264 रकबा 2.03 बीघा खसरा नम्बर 265 रकबा 2.02 बीघा खसरा नम्बर 269 रकवा 15 बिस्वा किता 3 रकबा 5 बीघा भूमि क्रेता मंजुकुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन स0देह छबडा के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखडा सम्वत् 2058–51 खाता संख्या 99 में भी खातेदार के साथ रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2054–57 सम्वत् 2050–53 सम्वत् 2046–49 सम्वत् 2042–45 सम्वत् 2037–40 सम्वत् 2033–36 सम्वत् 2029–32 सम्वत् 2025–28 सम्वत् 2021–24 में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। सम्वत् 2058 से 2073 तक भूमि का खातेदारों के बीच बेचान/हस्तान्तरण हुआ इसी आधार पर नामान्तरण दर्ज हुए परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑन लाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आम रही है एवं रिकार्ड दुरुस्त नही हो पा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसीलदार छबडा से इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खाता संख्या 289 खसरा नम्बर 264 रकबा 0.5438 है0 खसरा नम्बर 265 रकबा 0.5311 है0 में खातेदार रिज्यूमशन जगदीश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 5/34 जाति खाती मेघराज पुत्र कैलाश नारायण हिस्सा 3/17 राजुकुमार पुत्र कैलाशनारायण हिस्सा 3/17 जाति लोधा सा0देह फलिया रिज्यूमशन शिवचरण पुत्र सीताराम हिस्सा 1/2 जाति लोधा खसरा नम्बर 268 रकबा 0.5059 है0 खसरा नम्बर 269 रकबा 0.1897 है0 खातेदार जगदीश पुत्र बाबूलाल माफियात रिज्यूमशन हिस्सा 1/2 रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा छबडा रिज्यूमशन शिवचरण पुत्र सीताराम हिस्सा 1/2 जाति लोधा सा0देह वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज जमाबन्दी चली आ रही है जिसमें खातेदारान के खाते पर रिज्यूम शब्द दर्ज चला आ रहा है वाग्रस्त आराजी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से ही माफियात रिज्यूमशन दर्ज चला आ रहा है नामान्तरण संख्या 792 स्वीकृत दिनांक 6.01.2011 बेचान नामान्तरण विक्रेता रिज्यूमशन मंजु कुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन जाति महाजन क्रेता शिवचरण गजानन्द पुत्र सीताराम जाति लोधा माफियात रिज्यूमशन से भूमि वादी द्वारा क्रय की गई। थी नामान्तरण संख्या 1026 स्वीकृत दिनांक 18.10. 2021 से वादी ने क्रेता जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति खाती 5/34 हिस्सा मेघराज, राजुकमार पुत्र कैलाश नारायण हिस्सा 6/17 सा0देह फलिया जाति लोधा को विक्रय कर दी जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। तथा सभी खातेदारों के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है।

इस वाद को निर्णत करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 विचाराधीन है :–

<u>जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :–</u> "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

<u>आ0टी0एक्ट की धारा–15 :–</u> प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.5438 है0 खसरा नम्बर 265 रकबा 0.5311 है0 खसरा नम्बर 268 रकबा 0.5059 है0 खसरा नम्बर 269 रकबा 0.1897 है0 भूमि से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 48 / 2024	धारा 88,89,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 29.1.25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राकेश कुमार गालव–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री हसीब अलाम	

<u>वाद शीर्षक</u>

<u>उनवान</u>

1. शिवचरण पुत्र सीताराम जाति लोधा निवासी हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
2. जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी छबडा जिला बारां (राज0)
3. मेघराज पुत्र कैलाशनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम फलिया तहसील छबडा
4. राजकुमार पुत्र कैलाशनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम फलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.5438 है0 खसरा नम्बर 265 रकबा 0.5311 है0 खसरा नम्बर 268 रकबा 0.5059 है0 खसरा नम्बर 269 रकबा 0.1897 है0 भूमि से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		